भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1435

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि

1435. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिक कार्य दिवस प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में 100 कार्य दिवसों की सीमा को बढ़ाने का है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास वर्तमान में कौन-से प्रस्ताव या सुझाव विचाराधीन हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी, खेती-बाड़ी के कामों में मौसमी कमी और रोज़ी-रोटी के संकट को देखते हुए सरकार इस सीमा को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मज़दूरी के दिन बढ़ाकर , ग्रामीण परिवारों को एक तरह का सुनिश्चित और सुरक्षित रोज़गार मिल सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

यह मंत्रालय वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को अतिरिक्त 50 दिन (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) का मजदूरी रोजगार प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा , अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। यह योजना पात्र लाभार्थियों द्वारा काम की मांग के आधार पर 100 दिनों तक के मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार), 99.80% पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग की तुलना में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

यह मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा के तहत सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और राज्यों को आवश्यक सहयोग प्रदान करता है।

केंद्र सरकार ने इस योजना के संबंध में जागरूकता प्रसार के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005, के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दीवार पेंटिंग सहित उपयुक्त सूचना , शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना, (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और समावेशन का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की कोई भी मांग अपंजीकृत न रहे, (iii) सहभागिता के आधार पर योजनाएँ तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना, (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करना।

यहां, यह भी उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है अर्थात कोई बेहतर रोज़गार का अवसर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह आजीविका के लिए एक विकल्प प्रदान करती है।

यह योजना आवश्यकता पड़ने पर सुनिश्चित मज़दूरी श्रम प्रदान करके आय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देती है और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करती है।
